

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,****गोरखपुर सम्भाग-ए/बी, मिर्जापुर, इलाहाबाद सम्भाग-ए/बी, मुजफ्फरनगर, गोण्डा ।**

अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 15-06-2018 से वर्तमान तक की अवधि से सम्बन्धित, जोन स्तर गठित समिति द्वारा संस्तुत मृतक व्यापारियों के आश्रितों के बीमा दावे के भुगतान निम्न विवरण के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र० सं०	सम्भाग का नाम	व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	बीमित धनराशि
1	Gorakhpur	स्व० श्री अरुण कुमार जायसवाल	सर्वश्री आनन्द बर्तन स्टोर्स, मेन रोड कसया, कुशीनगर	08-10-2018	1000000/-
2	Gorakhpur	स्व० श्री कुलदीप गौड	सर्वश्री उषा इण्टरप्राइजेज, मकान नम्बर-सी-114/24, गिस्धरगंज बाजार, गोरखपुर	24-06-2018	1000000/-
3	Varanasi	स्व० श्री सुशील कुमार	सर्वश्री बजरंग इण्टरप्राइजेज, खडिया बाजार, शक्तिनगर, सोनभद्र	08-08-2018	1000000/-
4	Allahabad	स्व० श्री अजय कुमार केशरी	सर्वश्री अजय कोल डिपो सेमरा घूरपुर, प्रयागराज	22-06-2018	1000000/-
5	Gorakhpur	स्व० श्री बलराम	सर्वश्री बरनवाल इण्टर प्राइजेज, रेहरा बाजार, उसका बाजार, सिद्धार्थनगर	29-09-2018	1000000/-
6	Saharanpur	स्व० श्री संजय कुमार	सर्वश्री कपूर बर्तन भण्डार, 59, लोहिया बाजार, मुजफ्फरनगर	07-08-2018	1000000/-
7	Saharanpur	स्व० श्री राज्यवर्धन गुप्ता	सर्वश्री जय प्रकाश एण्ड कम्पनी, 17 घास मंडी, मुजफ्फरनगर	08-12-2018	1000000/-
8	Allahabad	स्व० श्री अनुपम टण्डन	सर्वश्री अनुपम स्त्रील, 183, मुट्ठीगंज, प्रयागराज	04-01-2019	1000000/-
9	Faizabad	स्व० श्री सोमेश प्रताप सिंह	सर्वश्री माँ किसान सेवा केन्द्र, पाल्हापुर, कर्नलगंज, जिला गोण्डा	22-08-2018	1000000/-
10	Gorakhpur	स्व० श्री गजेन्द्र कुमार बरनवाल	सर्वश्री राजस्थान कलाथ हाउस, सुर्तीहट्टा, बस्ती	05-10-2018	1000000/-
11	Gorakhpur	स्व० श्री प्रभुनाथ गुप्ता	सर्वश्री प्रज्ञा ट्रेडर्स, फलमण्डी, महेवा, गोरखपुर	31-12-2018	1000000/-

उक्त क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके सम्भाग से सम्बन्धित प्रकरणों में सम्बन्धित दावेदारों को नियमानुसार भुगतानादेश जारी करते हुए, भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उक्त के सम्बन्ध में धनावंटन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को किया जा चुका है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट को किसी भी दशा में लैप्स न होने दिया जाए, बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन गोरखपुर, वाराणसी जोन-2, वाराणसी, इलाहाबाद जोन इलाहाबाद, सहारनपुर जोन सहारनपुर, अयोध्या जोन अयोध्या को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, मिर्जापुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, गोण्डा।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय को कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, मिर्जापुर, गोण्डा को रु0-10.00 लाख प्रति DDO एवं इलाहाबाद, गोरखपुर मुजफ्फरनगर को रु0-20.00 लाख प्रति DDO बजट आवंटन किये जाने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

